चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 01.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 01.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले 06 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा तथा 09 अभियुक्तों के विरुद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(i). प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार द्वारा अभियुक्त 1. मोंटू उर्फ धीरू पुत्र पंचा निवासी राजापुर 2. शिवबाबू उर्फ रामबालक पुत्र अशोक निवासी कनकोटा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(ii).प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय द्वारा अभियुक्त 1. रंजीत यादव पुत्र लवलेश निवासी मवई कला 2. रामू उर्फ शशि कुमार पुत्र राजकुमार निवासी खप्टिहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(iii). प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा अभियुक्त दीपक तिवारी उर्फ दीपू पुत्र राजकुमार निवासी कस्बा व थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(iv). थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय द्वारा अभियुक्त अवनीश पटेल उर्फ शंकर दादा पुत्र केशव प्रसाट पटेल निवासी गौहोरा खास थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही तथा अभियुक्त 1. चुन्नू उर्फ योगेन्द्र पुत्र विजय शंकर 2. नरेन्द्र पुत्र मनकेश्वर 3. विद्यासागर पुत्र नमकेश्वर 4. वीरेन्द्र पुत्र मनकेश्वर 5. रामसम्पत्त पुत्र शिवप्रसाद 6. बिहारीलाल पुत्र लक्ष्मीप्रसाद 7. दयाशंकर पुत्र छितानी 8.मनिशंकर पुत्र छितानी 9. सत्येन्द्र पुत्र बिराहीलाल निवासीगण रामपुर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल व पैरोकार आरक्षी अशोक कुमार यादव एवं मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 193/2018 धारा 376,504 भादवि के आरोपी अभियुक्त पुग्गी उर्फ श्याम मूरत पुत्र घुरुवा निवासी औदहा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष का कारावास व 02 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनाँक 14.10.2018 को वादी द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी थी कि अभियुक्त पुग्गी उर्फ श्याममूरत उपरोक्त उनकी साथ दुराचार एवं गाली-गलौज किया है। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 193/2018 धारा 376,504 भादवि बनाम पुग्गी उर्फ श्याममूरत उपरोक्त पंजीकृत किया गया। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री बृजेश पाण्डेय द्वारा की गयी एवं दिनाँक 07.01.2019 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 07 अभियुक्तों के कब्जे से 41 लीटर कच्ची व 66 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(i). उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह थाना कोतवाली कर्वी व उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता कलावती पत्नी व्यापारी निषाद निवासी कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 18 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(ii). उ0नि0 श्री हारुन रसीद खां थाना भरतकूप व उनकी टीम द्वारा सुरेश उर्फ पुत्र स्व0 शंभू निवासी वीडरपुरवा मजरा गोडा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 13 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह थाना बहिलपुरवा व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बुद्धविलाश यादव पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी गोला पुरवा मजरा करका पडरिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय थाना सरधुवा व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बल्लू पुत्र स्व0 शिरोमणि निवासी ममसी बुजुर्ग थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट तथा अभियुक्त रमेशचन्द्र पुत्र गोरेलाल निवासी ब्यौहरा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 15-15 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(v). उ0नि0 श्री अब्दुल खलील थाना रैपुरा व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामेश्वर सिंह पुत्र इंद्रपाल सिंह निवासी दरियाव पुरवा बसिला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(vi). उ0नि0 श्री इंदल सिंह थाना मारकुंडी व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुशील गौतम पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी टिकरिया थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट को 16 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत अपराध एवं अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 02 तंमचे व 04 कारतूस बरामद किये।

(क). चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री गौरव तिवारी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त विनोद यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी पथरा थाना नयागांव जनपद सतना मध्य प्रदेश को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर

02 अदद कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.चौकी प्रभारी सीतापुर श्री गौरव तिवारी

2.आरक्षी अभिषेक प्रताप

3.आरक्षी रविशंकर

4.महिला आरक्षी राखी

(ख). उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सोनू केवट पुत्र भोला निवासी सब्जी मंडी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 12 बोर

02 अदद कारतूस 12 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम थाना मऊ

2.आरक्षी सोनपाल

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री सूर्यकान्त धर दुबे द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त उदय सोनकर पुत्र स्व0 सुखदेव निवासी कुसैली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 1500 रूपये का अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वारण्टी व 01 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

1.प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पांडेय व उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 101/024 धारा 498A,304B, भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट के वांछित अभियुक्त उमाकांत पुत्र रामलाल निवासी अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया

2. उ0नि0 श्री शैलेंद्र कुमार सिंह थाना राजापुर व उनके हमराही द्वारा मु0न0 892/015 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त उदय सोनकर पुत्र स्व0 सुखदेव निवासी ग्राम कुसैली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

3. उ0नि0 श्री इंद्रजीत गौतम थाना मऊ व उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 227/014 धारा 332,504,379 भादवि0 व 26 वन अधिनियम के वारंटी अभियुक्त रज्जन मिश्रा पुत्र उमेश चंद्र मिश्रा निवासी शिवपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।